रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 160] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 15, 2013/पौष 25, 1934

No. 160] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 15, 2013/PAUSA 25, 1934

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जनवरी, 2013

का.आ. 169(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 200क की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्रोत पर कटौती किए गए कर के विवरणों के केन्द्रीयकृत प्रक्रमण के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाता है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** - (1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम स्त्रोत पर कटौती किए गए कर के विवरण की केन्द्रीयकृत प्रक्रमण स्कीम, 2013 है ।

(2) ये राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी ।

2. **परिभाषाएं** .- (1) इस स्कीम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अधिनियम" से आय-कर अधिनियम 1961 (1961 का 43) अभिप्रेत है ;

(ख) "निर्धारण अधिकारी" से ऐसा निर्धारण अधिकारी अभिप्रेत है जिसे निर्धारण अधिकारी के रूप में अधिनियम की धारा 120 के अधीन उसको प्रदत्त या समनुदेशित सभी और किन्हीं शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन करने के लिए अधिनियम के अध्याय 27 के अधीन आदेश या निदेश दिया गया है ;

(ग) "प्राधिकृत अभिकरण" से, स्त्रोत पर कटौती किए गए कर के विवरण या स्त्रोत पर कटौती किए गए कर के संशोधन विवरण को प्राप्त करने के लिए महा निदेशक द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति अभिप्रेत है ;

(घ) "बोर्ड" से केन्द्रीय राजस्व बोर्ड से, केन्द्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 (1963 का 54) के अधीन गठित केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड अभिप्रेत है ;

(ङ) "प्रकोष्ठ" से स्त्रोत पर कटौती किए गए कर के ऐसे विवरण पर अधिकारिता रखने वाला केन्द्रीयकृत प्रक्रमण प्रकोष्ठ अभिप्रेत है जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ;

(च) "आयुक्त" से केन्द्रीयकृत प्रक्रमण प्रकोष्ठ का आय-कर भारसाधक आयुक्त अभिप्रेत है ;

(छ) "स्त्रोत पर कटौती किए गए कर का संशोधन विवरण" से अधिनियम की धारा 200 की उपधारा (3) के अधीन दिए गए स्त्रोत पर कटौती किए गए विवरण में दी गई सूचना में भूल सुधार के लिए या उसमें जोड़ने, लोप करने या उसका अद्यतन करने के लिए दिया गया विवरण अभिप्रेत है ;

(ज) "कटौतीकर्ता" से अधिनियम के अध्याय 27 के उपबंधों के अनुसार कर कटौती करने वाला कोई व्यक्ति अभिप्रेत है ;

(झ) "महा निदेशक" से अधिनियम की धारा 117 की उपधारा (1) के अधीन इस प्रकार नियुक्त आय-कर महानिदेशक (प्रणाली) अभिप्रेत है ;

(ञ) "पोर्टल" से, यथास्थिति, प्राधिकृत अभिकरण का वेब पोर्टल या प्रकोष्ठ का वेब पोर्टल अभिप्रेत है ;

(ट) "स्त्रोत पर कटौती किए गए कर के विवरण" से अधिनियम की धारा 200 की उपधारा (3) के अधीन दिए गए स्त्रोत पर कटौती किए गए कर का विवरण अभिप्रेत है ;

(2) ऐसे शब्दों और पदों का, जो यहां पर प्रयुक्त हुए है किंतु परिभाषित नहीं किए गए है और जो अधिनियम में परिभाषित है, का वहीं अर्थ होगा जो उनका अधिनियम में है ।

3. **केन्द्रीयकृत प्रक्रमण प्रकोष्ठ.**- बोर्ड इतने केन्द्रीयकृत प्रक्रमण प्रकोष्ठ स्थापित कर सकेगा जो वह आवश्यक समझे और उनकी क्रमिक अधिकारिता विनिर्दिष्ट कर सकेगा ।

4. स्त्रोत पर कटौती किए गए कर के संशोधन विवरण का दिया जाना .-

(1) कटौतीकर्ता निम्नलिखित प्रकार से महा निदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट प्ररूप में स्त्रोत पर कटौती किए गए कर का संशोधन विवरण देगा -

(क) इलैक्ट्रानिक रीति के माध्यम से प्राधिकृत अभिकरण को ; या

(ख) पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन ।

(2) उप पैरा (1) में निर्दिष्ट संशोधन विवरण अंकीय हस्ताक्षर के माध्यम से होगा या महा निदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया, रूप विधान और मानकों के अनुसार प्रक्रिया के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा ।

5. **विवरणों का प्रक्रमण.**- (1) प्रकोष्ठ, प्रक्रमण की तारीख से पूर्व कटौतीकर्ता द्वारा दिए गए स्त्रोत पर कटौती किए गए कर के संशोधन विवरण, यदि कोई हों, में अंतर्विष्ट सूचना पर विचार करने के पश्चात्, अधिनियम की धारा 200क की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट रीति में किसी कटौतीकर्ता द्वारा दिए गए स्त्रोत पर कटौती किए गए विवरण का प्रक्रमण करेगा ।

(2) आयुक्त -

(क) स्त्रोत पर कटौती किए गए कर के विवरण के प्रक्रमण के लिए समुचित प्रक्रिया अपना सकेगा ; या

(ख) स्त्रोत पर कटौती किए गए विवरण के प्रक्रमण के लिए प्रशासनिक अपेक्षाओं पर आधारित पूर्विकता का क्रम विनिश्चित कर सकेगा ।

6. **भूल को सुधारना .**- (1) प्रकोष्ठ का कोई आय-कर प्राधिकारी, अधिनियम की धारा 154 के अधीन अभिलेख से प्रकट हुई किसी भूल को सुधारने की दृष्टि से, स्वप्रेरणा से या कटौतीकर्ता से कोई आवेदन प्राप्त होने पर, अधिनियम के अधीन अपने द्वारा पारित आदेश या भेजी गई सूचना में संशोधन कर सकेगा ।

(2) सुधार के लिए कोई आवेदन महा निदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट प्ररूप और रीति में दिया जाएगा ।

(3) जहां किसी सुधार का परिणाम प्रतिदाय को कम करना या कटौतीकर्ता के दायित्व को बढ़ाना है, वहां प्रकोष्ठ द्वारा कटौतीकर्ता को इलैक्ट्रानिक रूप से इस आशय की सूचना भेजी जाएगी और कटौतीकर्ता का उत्तर महा निदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट प्ररूप और रीति में दिया जाएगा ।

(4) जहां संशोधन का परिणाम पहले से ही किए गए प्रतिदाय को कम करना या कटौतीकर्ता के दायित्व को बढ़ाना है, वहां प्रकोष्ठ के किसी आय-कर प्राधिकारी द्वारा पारित अधिनियम की धारा 154 के अधीन आदेश को, अधिनियम की धारा 156 के अधीन मांग की सूचना समझा जाएगा ।

7. **बकाया कर की मांग के विरुद्ध समायोजन.-** जहां इस स्कीम के अधीन किसी विवरण के प्रक्रमण से कोई प्रतिदाय उद्‌भूत होता है वहां, जहां तक हो सके, अधिनियम की धारा 245 के उपबंध लागू होंगे ।

8. **अपील.-** (1) जहां स्त्रोत पर कटौती किए गए कर के किसी विवरण का प्रकोष्ठ में प्रक्रमण किया जाता है वहां विवरण के प्रक्रमण से संबंधित अपील कार्यवाहियां ऐसे निर्धारण अधिकारी पर अधिकारिता रखने वाले आय-कर आयुक्त (अपील) के समक्ष की जाएगी जो कटौतीकर्ता पर अधिकारिता रखता है और प्रकोष्ठ से किसी भी संसूचना में आय-कर आयुक्त अपील को किए गए किसी निर्देश का अभिप्राय ऐसी अधिकारिता वाला आय-कर आयुक्त (अपील) होगा ।

(2) वह निर्धारण अधिकारी, जो कटौतीकर्ता पर अधिकारिता रखता है, आय-कर आयुक्त (अपील) के समक्ष दी जाने वाली प्रतिप्रेषण रिपोर्ट या कोई अन्य रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और अपील आदेश को प्रभावी करने वाला कोई आदेश, यदि कोई हों, ऐसे निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित किया जाएगा ।

9. **प्रकोष्ठ में व्यक्तिगत उपस्थिति का नहीं होना.-** (1) किसी भी व्यक्ति से किन्हीं कार्यवाहियों के संबंध में प्रकोष्ठ में प्राधिकारियों के समक्ष व्यक्तिगत रूप से या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होने की अपेक्षा नहीं की जाएगी ।

(2) प्रकोष्ठ, स्त्रोत पर कटौती किए गए कर के विवरण के प्रक्रमण के प्रयोजन के लिए या अधिनियम के उपबंधों के अधीन प्रकोष्ठ द्वारा पारित किए गए किसी आदेश या भेजी गई किसी सूचना में सुधार के प्रयोजन के लिए ऐसा स्पष्टीकरण, साक्ष्य या दस्तावेज मांग सकेगा, जो अपेक्षित हो ।

(3) कटौतीकर्ता, उप पैरा (2) के अधीन किसी संसूचना का उत्तर ऐसे रूप विधान में देगा जो महा निदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ।

10. **नोटिस या संसूचना की तामील.-** (1) प्रकोष्ठ द्वारा किसी नोटिस या आदेश या सूचना या कोई अन्य संसूचना की तामील निम्नलिखित प्रकार से कटौतीकर्ता को उसकी एक प्रति परिदत्त या पारेषित करके की जा सकेगी,-

(क) इलैक्ट्रानिक मेल द्वारा ; या

(ख) प्रकोष्ठ के पोर्टल पर कटौतीकर्ता के रजिस्ट्रीकृत इलैक्ट्रानिक खाते में ऐसी प्रति भेज कर ; या

(ग) अधिनियम की धारा 282 की उपधारा (1) में उल्लिखित किसी रीति द्वारा ;

(2) उप पैरा (1) के अधीन कोई संसूचना इलैक्ट्रानिक मेल में या प्रकोष्ठ के पोर्टल में कटौतीकर्ता के इलैक्ट्रानिक खाते में भेजने की तारीख को ऐसी संसूचना की तामील की तारीख समझा जाएगा ।

(3) सूचना, आदेश और नोटिस कंप्यूटर रचित होगा और उस पर जारी करने वाले व्यक्ति के वास्तविक हस्ताक्षर होने की आवश्यकता नही होगी ।

11. **प्रक्रिया और कार्रवाई विनिर्दिष्ट करने की शक्ति.**- महा निदेशक स्वतः क्रियाशील और यंत्रीकृत वातावरण में प्रकोष्ठ के प्रभावी कार्यकरण के लिए समय-समय पर प्रक्रियाएं और कार्रवाईयां विनिर्दिष्ट कर सकेगा जिसके अंतर्गत निम्नलिखित मामलों से संबंधित प्रक्रिया, रूप विधान, मानक और कार्रवाईयां विनिर्दिष्ट करना भी है, अर्थात् :-

(क) स्त्रोत पर कटौती किए गए कर के संशोधन विवरण का प्ररूप ;

(ख) स्त्रोत पर कटौती किए गए कर के संशोधन विवरण के सत्यापन की रीति ;

(ग) स्त्रोत पर कटौती किए गए कर के संशोधन विवरण की प्राप्ति ;

(घ) सुधार आवेदन का प्रारूप ;

(ङ) सुधार आवेदन के सत्यापन की रीति ;

(च) प्रकोष्ठ में सुधार आवेदनों की प्राप्ति और प्रक्रमण ;

(छ) किसी दस्तावेज की प्राप्ति के लिए प्रकोष्ठ द्वारा जारी की जाने वाली अभिस्वीकृति का प्रकार और रूप विधान ;

(ज) प्रकोष्ठ को भेजे गए किसी दस्तावेज या सूचना के अधिप्रमाणन की रीति जिसके अंतर्गत अंकीय हस्ताक्षर या इलैक्ट्रानिक हस्ताक्षर द्वारा अधिप्रमाणन भी है ;

(झ) स्त्रोत पर कटौती किए गए कर के संशोधन विवरण या सुधार आवेदन को इलैक्ट्रानिक रूप से फाइल करने के लिए प्रयुक्त किसी सॉफ्टवेयर का विधिमान्यकरण ;

(ञ) वेब पोर्टल सुविधा जिसके अंतर्गत लाग-इन सुविधा भी है, स्त्रोत पर कटौती किए गए संशोधन विवरण या स्त्रोत पर कटौती किए गए कर के विवरण की प्रास्थिति का पता करने, यथास्थिति, करदाता या कटौतीकर्ता को कर कटौती या प्रतिदायों के सुसंगत ब्यौरे प्रदर्शित करने और सुसंगत सूचना को डाउनलोड करने की सुविधा के लिए उपबंध ;

2230 GI/13-2

(ट) प्रश्नों का उत्तर देने और कर दाता सेवाएं प्रदान करने, जिसके अतंर्गत फाइल किए गए स्त्रोत पर कटौती किए गए कर के विवरण के प्रक्रमण को सुकर बनाने के स्पष्टीकरण के लिए अनुरोध करने वाले कटौतीकर्ता को आउटबाउंड काल भी है, के लिए कालसेंटर ;

(ठ) प्रकोष्ठ में शिकायतें दूर करने की क्रिया विधि के उपबंध ;

(ड) कर प्रशासन कार्यकलापों का प्रबंध जैसे स्त्रोत पर कटौती किए गए कर के विवरण और केन्द्रीयकृत रीति में दस्तावेजों की प्राप्ति, स्कैनिंग, आंकड़ा प्रविष्टि, प्रक्रमण, भंडारण और पुनः प्राप्ति और प्राधिकृत मध्यवृत्तियों के माध्यम से पत्र दस्तावेजों की प्राप्ति ।

[अधिसूचना सं. 03/2013/फा. सं. 142/39/2012–एसओ(टीपीएल)]

राजेश कुमार भूत, निदेशक (टीपीएल–III)